XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रेस्टो.2353–दो/15 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–7–15	आवेदक की ओर से श्री एस.के.अवस्थी, अभि. उप. । उन्होंने रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत किया । प्रकरण रेस्टोरेशन आवेदन पर आदेशार्थ । सदस्य	
31–8–15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया । विचारोपरान्त आवेदक अभि. द्वारा रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण कमांक आर 66–तीन/97 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक : /2015 जिला – रीवा

निग 2353-II-15

श्री ... द्वारा आज दि. 24-2-15 को प्रस्तुत

राजेन्द्र

——आवेदक

विरूद्ध

उपेन्द्र

——अनावेदक

म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक 66/अ/96 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 26/3/15 को नियत था।

2 यह कि, नियत दिनांक 26/3/15 को आवेदक के अधिवक्ता / अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को 26/3/15 को उपस्थित नही हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को ... में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक / बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।

3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक 66/अ/96 पुनः स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

दिनांक

स्थान–ग्वालियर

प्रार्थी

राजेन्द्र – द्वारा अभिभाषक